सं.एन.-1-6/2019-एनवीबीडीसीपी (प्रशा.I)

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(वीबीडी प्रभाग)

विषय:राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) हेतु अवर श्रेणी लिपिक पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन संबंधी जन सूचना।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं. एबी.14017/16/2008-स्था.(आर.आर.) के अनुपालन में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) हेतु **अवर श्रेणी लिपिक** पद के भर्ती नियमों की प्रारूप अधिसूचना सर्वसाधारण के सूचनार्थ संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति / टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टेक होल्डर, प्रारूप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपने सुझाव श्री अम्बा दत्त वबाडी, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 753-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110008 को लिखित रूप में या ई-मेल पते sovbdhfw@gmail.com पर भेज सकते हैं।

नई दिल्ली

दिनांक:

(अम्बा दत्त वबाडी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन नं: 23061510

[भारत के राजपत्र, भाग 2 खंड3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

नई दिल्ली,दिनांक.........

अधिसूचना

सा. का. नि..............- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, दिल्ली में (गुप 'ग' पद) भर्ती नियम, 1980 को, जहां तक उनका संबंध **अवर श्रेणी लिपिक** (क्र.सं.8) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, एतदद्वारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम विभाग में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रांरभ** – (i) इन नियमों कोराष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, अवर श्रेणी लिपिक, समूह 'ग'पर भर्ती नियम, 2019 कहा जाएगा।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरणऔर वेतन मैट्रिक्स में स्तर**- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि**- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

(i)जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है।

(ii)जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शाक्ति**- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृति**: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
1	2	3	4	5	6	7
1. अवर श्रेणी लिपिक	*32(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	वेतन मेट्रिक्सस्तर-2, 19900 - 63200 रु	गैर-चयन	18-27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तय की जाएगी	(i)किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समतुल्य (ii) मेन्युल टाइपराइटर पर अंग्रेजी की टाइपिंग गति 30 श.प्र.मिनट अथवा हिंदी में 25 श.प्र.मिनट अथवा कंप्यूटर पर अंगरेजी में 35 श.प्र.मिनट अथवा हिंदी में 30 श.प्र.मिनट र (35 श.प्र.मिनट औरहिंदी में 30 श.प्र.मिनट के तदनुरूप औसतन 10500 KDPH/9000KDPH प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
जी हां, कॉलम 10 में उल्लिखित सीमा तक	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष	(i) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 85% सीधी भर्ती द्वारा। (ii) 7वें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स के लेवल-1 में ऐसे ग्रप 'सी' स्टाफ में से 10% रिक्तियां विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर भरी जाएंगी, जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष अर्हता रखते हों तथा ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो। परीक्षा के लिए पात्रता हेतु अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष (अ.जा/अ.ज.जा. के लिए 50 वर्ष) है। नोट: यदि इस खण्ड के तहत उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कार्मिक अर्हता प्राप्त करते हैं, तो ऐसे अतिरिक्त कार्मिकों पर बाद के वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने हेतु विचार किया जाएगा, ताकि पहले की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वालेकार्मिकों पर बाद में अर्हता प्राप्त करने वाले कार्मिकों से पहले विचार किया जा सके। (iii) 5% रिक्तियां ऐसे ग्रुप 'सी' कार्मिकों में से सीनियरिटी-सह-फिटनेस के आधार पर भरी जाएगी, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के लेवल-1 में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
जैसा कॉलम 11 में उल्लेख है।	पदोन्नति हेतु समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति: i) संयुक्त निदेशक/उप-निदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम – अध्यक्ष ii) उप-निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस)/डीजीएचएस का दिल्ली / नई दिल्ली में स्थित संस्थान – सदस्य iii) प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम – सदस्य	लागू नहीं।

सं.एन.-1.6/2019-एनवीबीडीसीपी (प्रशा.I)

(ए.डी. वबाडी)
अवर सचिव